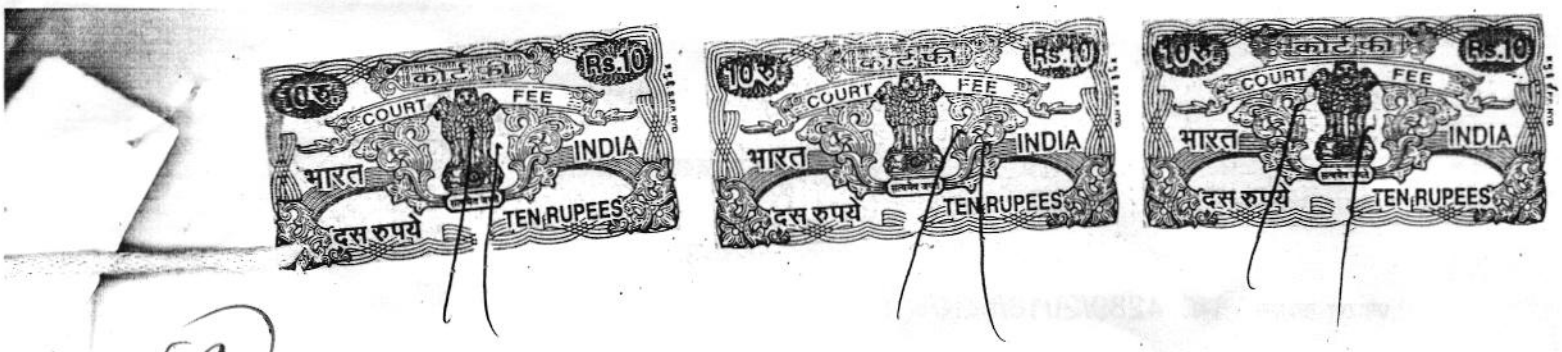

(19)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर के खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष

निगरानी-4239/2018 इन्दौर/भू.रा.

श्रीमती उषा पति श्री राधेश्याम सुनार
निवासी – 1750, घोडा रास्ता, तेली पाडा,
जयपुर (राज.)

... प्रार्थी

विरूद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री विजय गुप्ता
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 07-06-18 को प्रस्तुत।

विजय कुमार पिता श्री भागीरथ भोई
निवासी – कस्बा सांवेर तहसील सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

599
07-06-18

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

... प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर द्वारा अपील क्रमांक 0059/अपील/17–18 मे पारित आदेश दिनांक 05/02/2018 से असंतुष्ट होकर निम्नांकित व अन्य आधारो पर सदर पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है कि :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र एवं मय शपथपत्र के प्रस्तुत कर उक्त अपील 5

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 4239/2018/इंदौर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-8-2019	आवेदिका की ओर से श्री विजय गुप्ता, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री आर.एस. तंवर, अभिभाषक उपस्थित । आवेदिका की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5-2-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अपील समयबाधित होने आधार पर अग्राह्य की है । 2/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को सुना गया । विलम्ब के संबंध में आवेदिका के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 22-8-2017 को होने पर उसी दिन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 11-9-2017 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर दिनांक 10-10-2017 को अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे समयबाधित मानने में अपर आयुक्त ने भूल की है । अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदिका ने समय बाह्य अपील प्रस्तुत की थी, इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है । अत: अपर आयुक्त द्वारा अपील अग्राह्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है । 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि विलम्ब अत्याधिक नहीं था । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को न्यायहित में प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर, गुण-दोष के आधार पर किया जाना	

21/8/19

चाहिए था ।

4/ निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 5-2-18 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

(इकबाल सिंह बैंस)
अध्यक्ष